

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2652 /2019 दिनांक 20.12.2019


श्री अनिल कुमार गुप्ता, (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 13.01.2020 से 16.01.2020 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 11.01.2020 से 12.01.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 03.02.2020 से 06.02.2020 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 02.02.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम-01, जयपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/11/1998/12058

दिनांक : 20.12.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर को उनके पत्रांक 495/413 दिनांक 05.12.2019/14.11.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), विशिष्ठ न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर ।
4. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम-01, जयपुर महानगर ।



सहायक रजिस्ट्रार